

**भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग**

**लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2856
उत्तर देने की तारीख 06 अगस्त, 2025**

भारतनेट चरण-II और चरण-III परियोजनाएँ

2856. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:

श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंतः

श्री बैन्नी बेहननः

श्री जयन्त बसुमतारीः

डॉ. नामदेव किरसानः

श्री अरुण भारतीः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर उत्तर-पूर्वी राज्यों में भारतनेट चरण-II और चरण-III परियोजनाओं की जून, 2025 की स्थिति के अनुसार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उन ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है जहाँ ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी कार्यशील और प्रचालित है और तत्संबंधी लक्ष्य क्या हैं;

(ग) इसमें देरी या लागत में वृद्धि के कारण, यदि कोई हों, तो क्या हैं और राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों की कार्यनिष्पादन का व्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर बोडोलैंड जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े क्षेत्रों में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी चिंता का एक बड़ा कारण है और यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई गई है;

(ङ) उन ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है जहाँ ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी कार्यशील और प्रचालित है और इस संबंध में क्या लक्ष्य हैं; और

(च) इसमें विलंब अथवा लागत वृद्धि के क्या कारण हैं और यदि हाँ तो, राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों का कार्य-निष्पादन का व्यौरा क्या है?

उत्तर

**संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)**

(क) से (ग), (ङ) और (च) भारतनेट को देश में ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। दिनांक 30.06.2025 तक, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 6,320 ग्राम पंचायतों (जीपी) सहित कुल 2,14,325 ग्राम पंचायतों (जीपी) को

भारतनेट के तहत सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इनमें से 94,146 ग्राम पंचायतों (जीपी) को भारतनेट चरण-II के तहत सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। मांग के आधार पर गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए संशोधित भारत नेट कार्यक्रम (एबीपी) को देश भर में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके तहत 15 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए 12 पैकेज शुरू किए गए हैं। संशोधित भारत नेट कार्यक्रम (एबीपी) के तहत निर्माण चरण के पूरा होने की समय-सीमा करार पर हस्ताक्षर की तारीख से तीन वर्ष है।

(घ) बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में कुल 3,064 गांवों में से 3059 गांवों में 4जी कवरेज है और शेष 5 गांवों को 4जी सैच्युरेशन स्कीम के तहत नियोजित किया गया है।
